IJNRD.ORG ISSN : 2456-4184
INTERNATIONAL JOURNAL OF NOVEL RESEARCH AND DEVELOPMENT (IJNRD) | IJNRD.ORG
An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

स्मृतिकालीन और वर्तमानकालीन नारी एवं मौलिक अधिकार

डॉ. समणी संगीतप्रज्ञा[1], बिन्दु चन्द्राणी[2]

[1]शोध निर्देशिका, प्राकृत एवं संस्कृत विभाग, जैन विश्व भारती संस्थान, लाडनूँ ।

[2]शोध छात्रा, प्राकृत एवं संस्कृत विभाग, जैन विश्व भारती संस्थान, लाडनूँ ।

''अबला जीवन हाय तेरी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में है पानी।''

''प्रत्येक मनुष्य को चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, उसको अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति का अधिकार है। शिक्षा, समानता, स्वतन्त्रता, सम्पत्ति जैसे मौलिक अधिकार पुरुषों को तो जन्मतः प्राप्त हो जाते हैं परन्तु महिलाएँ इन अधिकारों की प्राप्ति के लिए स्मृतिकाल से ही संघर्षरत रही हैं। इसी चिरकालीन संघर्ष के प्रतिफल स्वरूप वर्तमानकाल में महिलाओं ने भी पुरुषों के समान अपने मौलिक अधिकारों को प्राप्त कर लिया हैं। पुरुष प्रधान और पितृसत्तात्मक विचारधारा से ऊपर उठकर यदि स्मृतिकालीन समाज में ही महिलाओं को ये अधिकार प्रदान कर दिए जाते तो आज भारत की स्थिति वैश्विक धरातल पर कुछ और ही होती।''

मुख्य शब्दः– स्मृतिकालीन, वर्तमानकालीन, मौलिक अधिकार, शिक्षा, समानता, स्वतन्त्रता, सम्पत्ति, धर्म, संस्कृति, शोषण, उत्तराधिकार, अधिनियम।

विधाता ने स्त्री और पुरुष की रचना कर सृष्टि में जीवन का आधान किया। स्त्री को सन्तानोत्पत्ति का वैशिष्ट्य प्रदान कर सृष्टि का आधारस्तम्भ बनाया। गृहस्थाश्रम और वैवाहिक जीवन का मूलाधार स्त्री होती है। जननी होने के कारण स्त्रियाँ अपने परिवार की मुखिया होती है। स्त्रियाँ ही अपने परिवार में संस्कारों का आधान करती हैं। पारिवारिक, सामाजिक और राष्ट्रीय संस्कृति के निर्माण, संवर्द्धन, पोषण और संरक्षण का अतिमहत्वपूर्ण दायित्व स्त्रियों के अधीन हैं। स्त्रियाँ ही राष्ट्रीय और वैश्विक संस्कृति की जीवन्तता का मूल आधार होती हैं। सृष्टि के आदिकाल से ही नारी जीवन संघर्षमयी रहा है। स्मृतिकालीन नारी भी संघर्षरत रही और आधुनिक काल में भी भारतीय नारी के जीवन का संघर्ष सतत जारी है। वर्तमानकाल में राष्ट्र–राष्ट्र में नारी जीवन का यह संघर्ष व्याप्त हो गया हैं। अतः वर्तमान वैश्विक समाज में पराधीन, पिछड़ी और शोषित नारी की दशा में सुधार करने के लिए नारी को उसके मौलिक अधिकारों के प्रति जागरूक करना परमावश्यक हो गया है।

मौलिक अधिकार व्यक्ति के जीवन के लिए अनिवार्य और मौलिक होते हैं। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ। मूल भारतीय संविधान के भाग–3 में भारतीय नागरिकों के हितों की सुरक्षा के लिए सप्त मौलिक अधिकार प्रदान किए– समानता का अधिकार, स्वतन्त्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतन्त्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, सम्पत्ति का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। सभी भारतीय नागरिकों को चाहे वह स्त्री हो अथवा पुरुष हो, ये मौलिक अधिकार समान रूप से प्राप्त हैं।

स्मृतिकाल में लोक व्यवहार स्मृतिग्रन्थों में वर्णित न्याय और कानून व्यवस्था के अनुसार लोकप्रचलित था। स्मृतिग्रन्थों में मनुस्मृति और याज्ञवल्क्यस्मृति भारतीय सामाजिक, राजनैतिक, प्रशासनिक, विधिक व्यवस्था के आधारभूत ग्रन्थ थे। वर्तमानकाल में लोकव्यवहार भारतीय संविधान में वर्णित न्याय और कानून व्यवस्था के अनुसार लोकप्रचलित है। स्मृतिशास्त्रों में वर्णित तत्ववेत्ता ऋषियों एवं महर्षियों द्वारा निर्मित, परमावश्यक और लोकोपकारी आधारभूत कानून और न्याय व्यवस्था को सामाजिक, राजनैतिक प्रशासनिक और राष्ट्रीय व्यवस्थाओं के नियन्त्रण, समन्वय और संतुलन को बनाए रखने के लिए, स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद निर्मित भारतीय संविधान में यथावत् स्वीकार किया गया अतः स्वातन्त्र्योत्तरकालीन भारतीय कानून व्यवस्था धर्मशास्त्रीय ग्रन्थ मनुस्मृति और याज्ञवल्क्यस्मृति पर अवलम्बित थी। समय के साथ सामाजिक, राजनैतिक, प्रशासनिक परम्पराओं, मान्यताओं और दशाओं में परिवर्तन होते जा रहे हैं। जिनके फलस्वरूप स्मृतिकालीन कानून महत्त्वहीन होते जा रहे है अतः परम्परागत कानूनों में परिवर्तन कर नित नए कानून बनते जा रहे हैं।

स्मृतिकालीन समाज पुरुष प्रधान था। इस काल में स्त्रियों के साथ दोहरा व्यवहार किया गया। स्मृतिकारों ने अपनी लेखनी से स्त्रियों के विरुद्ध षड्यन्त्र रचकर उनकी स्थिति को दयनीय और शोचनीय बना दिया। **'यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, रमन्ते तत्र देवता'** कहकर एक तरफ उसे पूजनीय बताया गया वही दूसरी ओर **'पिता रक्षति बाल्यकाले.....'** जैसे वचन कहकर एक स्त्री का पिता, पति, पुत्र और भाई के अधीन रहना अनिवार्य बताकर उसको अस्वतन्त्र माना गया। सज्जन हो या दुर्जन, पति की सेवा को नारी का परमधर्म कहकर उसकी पराधीनता का बीजारोपण कर **स्वतन्त्रता के अधिकार** का हनन किया। स्त्रियाँ किसी भी धार्मिक कार्य के सम्पादन के लिए स्वतन्त्र नहीं थी। **'पुत्रेण दुहिता समा'** कहकर एक तरफ पुत्र–पुत्री को समान बताया गया वही दूसरी ओर देव–ऋषि–पितृऋण से उऋण के अधिकार के प्रति धार्मिक दृष्टिकोण से नारी को उपेक्षित माना गया। इस लैंगिक भेदभावपूर्ण व्यवहार के द्वारा उनकी **समानता के अधिकार और धार्मिक स्वतन्त्रता जैसे अधिकारों** का हनन किया गया। स्मृतिकाल में नारी शिक्षा को गहरा आघात लगा। इस काल में स्त्रियों को शूद्र के समान माना गया और वैदिक ज्ञान से वंचित रखा गया। कामभाव से वशीभूत हो स्त्रियाँ विद्वान और सज्जन पुरुष को भी कुमार्गी बना देती हैं इस मान्यता के चलते सहशिक्षा और शिक्षा के अधिकार से स्त्रियों को वंचित रख कर उनके **शिक्षा के अधिकार** का हनन किया गया। स्मृतिकारों का मानना था कि आर्थिक रूप से सक्षम होने पर स्त्रियाँ स्वच्छन्द होकर चारित्रिक रूप से पतिता हो जाती हैं। अतः स्मृतिकाल में स्त्रियों को पितृ और पैतृक सम्पत्ति में अधिकार प्राप्त नहीं था। विवाहोपरान्त पति की सम्पत्ति में भी उसे अधिकार प्राप्त नहीं था। चल सम्पत्ति स्वरूप विवाह में लब्ध स्त्रीधन पर स्त्री का अधिकार होता था। पूरे घर की साफ–सफाई कर घर को स्वर्ग बनाने वाली और कृषि कार्य में सर्वाधिक योगदान देने वाली स्त्री को भूमि, आवासीय भवन और कृषि भूमि जैसी निजी अचल सम्पत्ति रखने का अधिकार प्राप्त नहीं था। इस प्रकार स्मृतिकालीन पितृसत्तात्मक विचारधारी पुरुष ने स्त्रियों को स्वाधीन करने के लक्ष्य से आर्थिक रूप से कमजोर बनाने के लिए **सम्पत्ति के अधिकार** से उनको वंचित रखा। स्मृतिकालीन पारिवारिक और सामाजिक व्यवस्था में पुरुष आर्थिक और सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करते थे। स्त्रियाँ परिवार और गृहस्थी के दायित्वों का निर्वहन करने के साथ–साथ कृषि कार्य और धरेलू कार्यों में अपने परिश्रम का योगदान करके परिवार की आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने में पुरुषों का सहयोग करती थी जिसके कारण उसके कार्यभार में वृद्धि हो जाती थी। पुरुषों ने स्त्री को उसके द्वारा दिए जाने वाले आर्थिक योगदान का पारिश्रमिक देने के बजाय उनको आर्थिक और साम्पत्तिक अधिकारों से वंचित रखकर उसका शोषण किया। स्मृतिकालीन समाज में बालविवाह, पर्दाप्रथा, सतीप्रथा, दहेजप्रथा, बहुविवाह, जातिप्रथा जैसी कई कुरीतियाँ व्याप्त थी जिसके कारण भी स्त्रियों का शोषण होता था। **'योऽकामां दूषयेत्कन्यां...'** जैसे वचनों के ज्ञात होता है कि स्मृतिकाल में स्त्रियों को भोग की वस्तु मानकर उनका शोषण किया जाता था।

इस प्रकार स्मृतिग्रन्थों में स्त्रियों के विरुद्ध वर्णित की गई षड्यन्त्रकारी दोहरी नीति के फलस्वरूप स्मृतिकाल में रोपण किया गया पितृसत्तात्मकता का बीज शनैः–शनैः पल्लवित और पुष्पित होकर फलित होने लगा जिसके प्रभाव से स्त्रियों को समानता, स्वतन्त्रता, शिक्षा और सम्पत्ति के मौलिक अधिकारों से वंचित रखा गया। पितृसत्तात्मकता रूपी वृक्ष की जड़े इतनी गहरी है कि स्मृतिकालीन समाज से लेकर वर्तमानकालीन

समाज में भी स्त्रियों की दशा बहुत ही दयनीय और शोचनीय रही हैं। यदि स्मृतिकारों ने अपनी कलम से स्त्री–पुरुष दोनों के अधिकारों और दायित्वों प्रति समान दृष्टिकोण रखते हुए स्मृतिग्रन्थों को कलमबद्ध किया होता तो आज भारतीय समाज में स्त्रियाँ निशक्त और अबला नहीं होती और न ही महिला सशक्तिकरण के लिए जागरूकता अभियानों की दरकार होती बल्कि पारिवारिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक व्यवस्था ही ऐसी होती कि पुरुषों के समान स्त्रियों की भी राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय धरातल पर एक सुदृढ़ और सशक्त स्थिति की स्वतः ही रचना होती जाती ।

समाज की बुनियाद परिवार और परिवार की बुनियाद महिला होती है। जिस परिवार में महिलाएँ सर्वांगीण दृष्टिकोण से सशक्त होती हैं उस परिवार की सामाजिक स्थिति सुदृढ़ होती है। सुदृढ़ परिवारों से राष्ट्र सुदृढ़ होता हैं। परिणामतः वैश्विक स्तर पर राष्ट्रीय स्थिति को मजबूत बनाने और विकसित करने के लक्ष्य से महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार प्रदान करना परमावश्यक हो गया। युगों से पिछड़ी महिलाओं को पुरुषों के समकक्ष लाने के लिए समानता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, स्वतन्त्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतन्त्रता का अधिकार, सम्पत्ति का अधिकार जैसे कई अधिकारों को प्रदान करना परमावश्यक हो गया। ताकि महिलाओं को पुरुषों के समान सशक्त किया जा सकें।

स्वतन्त्रता प्राप्त के बाद भारतीय सामाजिक, राजनैतिक, प्रशासनिक, विधिक व्यवस्थाओं में परिवर्तन हुआ जिससे भारतीय धरा पर एक नवयुग का सूत्रपात हुआ। संविधान की रचना की गई। नागरिकों के हितों की सुरक्षा के लिए उनको सप्त मौलिक अधिकार प्रदान किए गए। ये मौलिक अधिकार बिना किसी लैंगिक भेदभाव के सभी भारतीयों को समान रूप से प्राप्त थे। स्त्रियाँ अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हुई। उनको यह समझ में आ गया कि शिक्षा ही वह हथियार है जिसके माध्यम से वह अपने जीवन के दुःखों से छुटकारा प्राप्त कर सकती हैं। बालविवाह और धन लड़कियों के शिक्षित होने के कार्य में बाधक सिद्ध हो रहा था अतः बाल विवाह निषेध कानून बनाया गया और कन्या के विवाह की आयु 18 वर्ष कर दी गई और 6–14 वर्ष तक के बालक–बालिकाओं के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को प्रावधान किया गया। जैसे–जैसे स्त्रियाँ शिक्षित होती गई वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होती गई।

स्वतन्त्रता प्राप्ति से पूर्व **भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925** द्वारा ईसाई, पारसी और यहूदी धर्मानुयायियों के संयुक्त परिवार की सम्पत्ति में बिना किसी लैंगिक भेदभाव के स्त्रियों और पुरुषों को समान उत्तराधिकार प्रदान करते हुए किसी व्यक्ति की निर्वसीयती सम्पत्ति में उसकी पत्नी को सर्वप्रथमाधिकार प्रदान किया गया। **हिन्दू स्त्री का साम्पत्तिक अधिकार अधिनियम, 1937** द्वारा विधवा, विधवा पुत्रवधू और विधवा पौत्रवधू को उसके पति की सम्पत्ति में प्राथमिक उत्तराधिकार प्रदान किया गया। यह महिला सशक्तिकरण की राह में उठाया गया प्रथम सरकारी कदम था जिसके द्वारा महिलाओं को आर्थिक सशक्त करने का प्रयास किया गया। घरेलू हिंसा की शिकार विवाहित और अविवाहित महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने के उद्देश्य से **हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956** लागू किया गया जिसके द्वारा महिलाओं को समस्त चल–अचल सम्पत्ति में अधिकार प्रदान करते हुए पिता और पति की निजी सम्पत्ति एवं पैतृक सम्पत्ति में उत्तराधिकार दिया गया। उनके सीमित साम्पत्तिक अधिकार को पूर्ण साम्पत्तिक अधिकारों में परिवर्तित किया गया। **हिन्दू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम, 2005** द्वारा महिलाओं को सहदायिक बनाकर पैतृक सम्पत्ति में अधिकार प्रदान किया गया। जिसके फलस्वरूप आवासीय भवन और कृषि भूमि जैसी अचल सम्पत्तियों में महिलाओं को उत्तराधिकार प्राप्त हुआ। इस प्रकार आवासीय भवन में अधिकार प्रदान कर महिलाओं के लिए एक स्थायी आवास को सुनिश्चित किया गया और कृषि भूमि में अधिकार प्रदान कर उनको आर्थिक रूप से सुदृढ़ किया गया। राजनैतिक पदों और लोकसेवाओं में भी उनकों पुरुषों के समान राजनैतिक और आर्थिक अवसर प्रदान किए गए हैं।

आधुनिक भारतीय महिलाओं को पुरुषों के समान समस्त मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। वर्तमान में भारतीय महिलाएँ न तो घूंघटे में छिपी हैं, न हीं घर की चार दीवारी में कैद है और न ही वे पिता, पति, भाई रूपी पुरुषों के हाथों की कठपुतली हैं। आज की नारी स्वतन्त्र है। वे अपने जीवन के फैसले लेने में सक्षम हैं। वे

धरती से आकाश तक सभी क्षेत्रों में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला कर परिवार, समाज, राष्ट्र के सर्वांगीण विकास में अपना योगदान प्रदान कर रही हैं और प्रत्येक स्तर प्रदान किए गए अपने योगदानों का लाभांश भी प्राप्त कर रही हैं। जिससे वे आर्थिक सुदृढता, स्वतन्त्रता और सशक्तता के साथ–साथ स्वच्छन्दता को भी प्राप्त हो रही हैं।

आधुनिक भारतीय समाज पितृसत्तात्मक और पुरुष प्रधान नहीं है अपितु समानता के मौलिक अधिकार के कारण स्त्री–पुरुष और पुत्र–पुत्री का लैंगिक विभेद समाप्त होता जा रहा हैं। अब पुत्रियाँ भी अपने माता–पिता की सेवा करती हैं और दिवंगत होने पर उनको मुखाग्नि देकर पितृऋण से उऋण होती नजर आ रही हैं। वैदिक और लौकिक सभी प्रकार की शिक्षा प्राप्त कर देवऋण और ऋषिऋण से भी उऋण हो रही है।

स्मृतिकाल से ही महिलाओं को धर्म और संस्कृति का संरक्षक, पोषक, परिवर्तक और संवर्द्धक माना जाता हैं। परन्तु वर्तमान में महिलाएँ आर्थिक रूप से सशक्त होने के कारण अपने पारिवारिक, सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक दायित्वों के निर्वहन से सतत विमुख होती जा रही हैं। जिसके प्रभाव से विश्व प्रसिद्ध भारतीय धार्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों पर पाश्चात्यिक मूल्य हावी होते जा रहे हैं। जिसके कारण वर्तमान 21वीं सदी को धार्मिक और सांस्कृतिक संक्रान्ति का युग माना जा रहा है।

समय के साथ बदलती हुई सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों के प्रभाव से मानवीय विचारधाराओं, जीवनमूल्यों और परम्परागत मान्यताओं में बदलाव आया जिसके फलस्वरूप अनैतिक समझे जाने वाले कार्यों को बदलते समय की मांग कहकर नैतिक माना जाने लगा है। जैसे ही महिलाओं ने घर की चार दीवारी से बाहर निकलकर दो पैसे कमाकर स्वावलम्बी बनने का प्रयास किया वैसे ही पुरुषों ने उनको चारित्रिक रूप से पतित करने के लिए तत्पर हो गए। यौन उत्पीडन और यौन अपराध जैसे शब्द नित अखबारों की सुर्खियों में रहने लगे हैं। इन पर लगाम लगा कर महिलाओं को शोषण से सुरक्षा प्रदान करने के लक्ष्य से लोकस्थल पर महिलाओं से छेड़छाड़ करने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 294 में तीन माह कारावास से अथवा जुर्माने से अथवा दोनों से दण्डित करने की व्यवस्था की गई। लज्जा भंग करने हेतु बल प्रयोग करने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 354 के तहत दो वर्ष का कारावास अथवा जुर्माना अथवा दोनों से दण्डित करने की व्यवस्था की गई। इसके साथ ही दुष्कर्म का प्रयास करने वाले व्यक्ति का पीडित महिला भारतीय दण्ड संहिता की धारा 100 के तहत स्व रक्षार्थ कत्ल भी कर सकती है। नाबालिगों के प्रति किए जाने वाले यौन अपराधों की पीडिताओं को पोक्सो एक्ट के तहत सुरक्षा और संरक्षण प्रदान किया जाता हैं।

सदियों से अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रही महिलाओं ने पितृसत्तात्मकता की जड़ों को कमजोर करके अपने मौलिक अधिकारों को प्राप्त करने में सफलता प्राप्त कर ली हैं। सृष्टि की सूत्रधार महिलाओं के लिए यह एक युगान्तरकारी सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन है जिसके कई सकारात्मक परिणाम भी होंगे और नकारात्मक परिणाम भी होंगे जो समय के साथ दृष्टिगोचर होंगे।

फिलहाल मौलिक अधिकारों से वंचित रही स्मृतिकालीन नारी की अपेक्षा वर्तमान में नारी को शिक्षा, समानता, स्वतन्त्रता, संस्कृति, सम्पत्ति जैसे समस्त मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। इन अधिकारों को प्राप्त कर नारी सतत सशक्तिकरण की ओर उन्मुख हो रही हैं। सामाजिक अस्तित्त्व को बनाए रखने के लिए पुरुषों के समान स्त्रियों का सशक्त होना परमावश्यक है। यह युगल सशक्तिकरण वैश्विक धरातल पर राष्ट्रीय विकास की जड़ों को सुदृढ़ और सशक्त कर रहा है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. शर्मा, डॉ कमलनयन, **याज्ञवल्क्यस्मृति**, जगदीश संस्कृत पुस्तकालय, जयपुर, सन् 2009.
2. विज्ञानेश्वर, **याज्ञवल्क्यस्मृति** (मिताक्षरा), निर्णय सागर प्रेस, बम्बई, 1949 ई.
3. पाण्डेय, डॉ. उमेश चन्द्र, **याज्ञवल्क्यस्मृति**, चौखम्बा संस्कृत हिन्दी संस्थान, वाराणसी, 2007
4. ओझा, डॉ. श्रीकृष्ण/शर्मा, प्रो. श्यामलाल, **मनुस्मृति,** अभिषेक प्रकाशन, जयपुर.
5. भट्ट, पं. रामेश्वर, **मनुस्मृति**, चौखम्बा संस्कृत प्रतिष्ठान, दिल्ली, सन् 2011.
6. शास्त्री, हरगोविन्द, **मनुस्मृति**, चौखम्बा संस्कृत संस्थान, वाराणसी, 2000
7. ओझा, डॉ श्रीकृष्ण/ओझा, उर्मिला **ईशावास्योपनिषद्**,राजप्रकाशन मन्दिर, जयपुर.
8. पाण्डेय, डॉ. देवेन्द्रनाथ, **सांख्यकारिका,** जगदीश संस्कृत पुस्तकालय, जयपुर, 2019.
9. ओझा, सुरेश, **महिला कानून**, सर्जना शिववाड़ी रोड़, बीकानेर, 2012.
10. दीवान, डॉ. पारसी, **आधुनिक हिन्दू विधि,** इलाहबाद लॉ एजेन्सी पब्लिकेशन्स, पुनर्मुद्रित संस्करण– 2022
11. रिजवी, आबिद **भारत का संविधान**, रजत प्रकाशन, मेरठ, (यू.पी.).
12. अम्बेडकर, डॉ. बी. आर., **भारत का संविधान**, भीम प्रवाह पब्लिकेशन्स, 2020.

BARE ACT:-

1- The Indian Succession Act, 1925, The Bright Law House, New Delhi, 2022.
2- Hindu Law, Dr.VedPrakash/R.K.Narulla, Allahabad Law Publications, Prayagraj- 2022.
3- Hindu Succession Act, 1956.

International Research Journal
IJNRD
Research Through Innovation